यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न0:– 152 / 2019 तारीखरजू:– 11-12-19

उनवान:– कमोदा बनाम तहसीलदार वगै0

दावा वावत इन्द्राज दुरूस्ती धारा 136 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम	
11/12/19	वादी की ओर से श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट दावा वावत इन्द्राज दुरूस्ती धारा 136 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 07.01.2020 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	5995 11-12-19
7.1.20	वादी वकील उप0/पैरोकार सरकार की ओर से आफिस कानूनगो उप0। P.O. साहब चुनाव कार्य से करौली पधारे है आईन्दा दिनांक 11.2.20 को पेश हो।	
11.2.20	वादी वकील एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत किया। वादी की ओर से दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय से पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 6230 रकबा 62 एयर स्थित ग्राम टोडाभीम 9 बिस्वा की खातेदारी ब्रजमोहन लाल दत्तक पुत्र गिरजि जाति ब्राह्मण के नाम थी। वादिया एवं मुन्नी देवी उर्फ ललिता देवी पत्नि छोटूराम जाति कण्डेरा ने खसरा नम्बर 6230 रकबा 62 एयर का 37/62 भाग दिनांक 24/8/2007 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है। नामान्तरण संख्या 289 भरते समय कमोदा देवी के स्थान पर कजोडी देवी पत्नि घनश्याम दर्ज कर दिया। अतः विक्रय पत्र के अनुसार टोडाभीम 9 बिस्वा की आराजी ख.नं. 6230 रकबा 62 एयर में वादिया के हिस्सा 37/124 में कजोडी देवी पत्नि घनश्याम के स्थान पर कमोदा देवी पत्नि घनश्याम करने के आदेश फरमाये जावे। तहसीलदार टोडाभीम ने अपनी रिपोर्ट में वर्णित किया है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24/8/2007	20

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला क

दिनांक	फर्द अहकाम
	के अनुसार खातेदार बृजमोहन दत्तक पुत्र गिर्राज जाति ब्राह्मण ने आराजी ख.नं. 6230 रकबा 0.62 हे० में 37/62 हिस्सा श्रीमति कमोदा देवी पत्नि घनश्याम, श्रीमति मुन्नी उर्फ ललिता पत्नि छोटूराम जाति कण्डेरा नि० टोडाभीम को बेचान किया है। नामा० संख्या 281 दिनांक 30.4.2007 से क्रेती कमोदा देवी के स्थान कजोडी देवी नाम दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड में अमल हो गया है। विक्रय पत्र के अनुसार वादिया का नाम कमोदा देवी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।
	वादी वकील को सुना गया। दस्तावेजों का अवलो० किया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.8.2007 के अनुसार क्रेती का नाम कमोदा देवी पत्नि घनश्याम है। हाल जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 398 में कजोडी देवी पत्नि घनश्याम हिस्सा 37/124 दर्ज हो रहा है। तहसीलदार टोडाभीम ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र का नामान्तकरण दर्ज करते समय कमोदा देवी के स्थान पर कजोडी देवी दर्ज कर दिया है जिसे कमोदा देवी किया जाना चाहिए। उक्त विवेचन के आधार पर कजोडी देवी के स्थान पर कमोदा देवी नाम दर्ज किया जाना उचित पाता हूं।
	अतः टोडाभीम उपखण्ड के राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 398 में दर्ज कजोडी देवी पत्नि घनश्याम के स्थान पर कमोदा देवी पत्नि घनश्याम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टोडाभीम निर्णयानुसार पालना करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	निर्णय आज दिनांक 11.2.20 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

11/2/2020
(दुर्गाप्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:52:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: